

**ग्रामीण सेवा शिविर-2025**

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

प्रकरण सं. 213/2025  
 दापर दिनांक 27/09/25  
 निर्णय दिनांक 27/09/25  
 प्रशासन गाँवाँ के संग-2021

**राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र**

राजस्व ग्राम <u>पं०-पाण्डुरा</u> पं०मं० <u>पाण्डोली</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>पाण्डोली</u> तहसील- <u>कपरावा</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	94	236	1.53	महोदय जी, खातेदार देमा के वादीपान के नाम के दोषन शरीतान का नाम मागुं, श्यामा पिंग देमा पादि पाट 64 84	महोदय जी, खातेदार न मागुं, श्यामा पिंग देमा का नाम शुद्ध कर, मर्यादा पूर्ण नक दस्तावेज कृपया भोगीलाल श्यामलाल पुंग देमा दिया जाना अपेक्षित है।	
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् <u>2037-32</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		पं०हल्का <u>पाण्डोली</u> भू०अ०नि० <u>पाण्डोली</u> को रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।
दिनांक <u>26/9/25</u> ह० पटवारी पं०मं० <u>पाण्डोली</u>				दिनांक <u>26/9/25</u> ह० भू०अ०नि० वृत्त <u>पाण्डोली</u>		दिनांक <u>26.09.25</u> तहसील प्रशासन अधिकारी जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)



ह० उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर